<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I खंड I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 6/40/2025 – डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 29.09.2025

जांच शुरुआत अधिसूचना

मामला सं. ए डी (ओ आई) – 35/2025

विषय: <u>चीन जन. गण. से मेलामाइन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत</u>

1. **<u>फा. सं. 6/40/2025 - डीजीटीआर</u>**: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रुप में कहा गया है और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' के रुप में कहा गया है) के संदर्भ में, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' के रुप में कहा गया है) ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मेलामाइन" (जिसे इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' या 'संबद्ध वस्तु' या 'पीयूसी' के रुप में कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' के रुप में कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "मेलामाइन" है।

4. मेलामाइन से उत्पादित और लेमिनेट के लिए प्रयुक्त मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन अच्छी कठोरता, खरोंच, दाग, पानी और गर्मी के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं। कुछ औद्योगिक विद्युत अनुप्रयोगों में प्रयुक्त लेमिनेट में उच्च यांत्रिक शक्ति, अच्छा ताप प्रतिरोध और अच्छे विद्युत रोधक गुण होते हैं।

5. विचाराधीन उत्पाद के लिए वर्तमान जांच में माप की इकाई मीट्रिक टन (मी. टन) है।

6. मेलामाइन को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत उप-शीर्षक 2933 61 00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

7. आवेदक ने कोई पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया है। हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच की शुरुआत होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां/ सुझाव प्रस्तुत करें।

ख. <u>समान वस्तु</u>

8. आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं और आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुएं, आवश्यक उत्पाद विशिष्टताओं जैसे भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का ही परस्पर उपयोग करते हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और इसलिए, नियमों के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अत:, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. **<u>घरेलू उद्योग एवं स्थिति</u>**

9. यह आवेदन गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि वे भारत में संबद्ध वस्तुओं के एकमात्र उत्पादक हैं। आवेदक ने यह भी प्रमाणित किया है कि उन्होंने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और न ही वे संबद्ध देश के किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित हैं।

10. इसके देखते हुए, और जांच के बाद, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है और नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति की अपेक्षाओं को पूरा करता है और आवेदक नियम 2(ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग है।

घ. **<u>संबद्ध देश</u>**

11. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

ङ. **<u>जांच की अवधि</u>**

12. जांच की अवधि (पीओआई) दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह) तक है। क्षति जांच की अवधि अप्रैल 2021-मार्च 2022, अप्रैल 2022-मार्च 2023, अप्रैल 2023-मार्च 2024 और जांच की अवधि है।

च. **<u>कथित पाटन का आधार</u>**

i. **सामान्य मूल्य**

13. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) का हवाला दिया है और उस पर भरोसा किया है और यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था के रुप में माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियां

मौजूद हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

14. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और मूल्य से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आवेदक ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है, जिसे उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समायोजित किया गया है।

15. जांच शुरुआत करने के प्रयोजन के लिए, विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभ को जोड़कर विधिवत समायोजित किया गया है।

ii. निर्यात कीमत

16. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत, डीजी सिस्टम के लेन-देन-वार आयात संबंधी आंकड़ों में सूचित किए गए विचाराधीन उत्पाद के सीआईएफ मूल्य पर विचार करके निर्धारित किया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय और ऋण लागत के लिए समायोजन का दावा किया गया है।

iii. पाटन मार्जिन

17. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-बाह्य स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है। इस प्रकार, *प्रथम दृष्टया* इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।

छ. <u>क्षति का साक्ष्य और कारणात्मक संबंध</u>

18. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण आवेदक को हुई क्षति के संबंध में *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में निरपेक्ष और सापेक्ष दृष्टि

से वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से आयातों में माग में वृद्धि के अतिरिक्त वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कारण कीमत में आई गिरावट ने आवेदक को पूरी लागत वसूलने और उचित प्रतिफल दर प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतों में वृद्धि करने से रोक दिया है। आवेदक वित्तीय घाटे, नकारात्मक रुप से नकदी लाभ और नकारात्मक पी बी आई टी का सामना कर रहा है। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण आवेदक को हुई वास्तविक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं जो पाटनरोधी जांच शुरुआत करने को उचित ठहराते हैं।

ज. <u>पाटनरोधी जांच की शुरुआत</u>

19. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देश में मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर संतुष्टि प्राप्त करने के बाद, तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी, एतद्द्वारा, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करने के लिए एक पाटनरोधी जांच शुरुआत करते हैं, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

20. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. <u>सूचना की प्रस्तुती</u>

21. निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्र-व्यवहार ईमेल पते dir16-dgtr@gov.in और ad13-dgtr@gov.in पर ईमेल द्वारा भेजे जाने चाहिए, साथ ही उनकी एक-एक प्रति adv13-

dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in पर भी भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुत अनुरोध का विस्तृत भाग सर्च योग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ल्ड फार्मेट में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्शल। फार्मेट में हों।

22. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में स्थित अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी संगत सूचनाएं प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप और निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों तथा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिसों द्वारा निर्धारित प्रारूप और निर्धारित तरीके से, इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर, वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे जांच से संबंधित सूचना और आगे की प्रक्रियाओं से अद्यतन और अवगत रहें।

ट. <u>समय-सीमा</u>

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नलिखित ईमेल पतों dir16-dgtr@gov.in और ad13-dgtr@gov.in पर ईमेल द्वारा भेजी जानी चाहिए, जिसकी एक-एक प्रति adv13-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in पर भेजी जानी चाहिए। यह सूचना आवेदक द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को निर्दिष्ट

प्राधिकारी द्वारा प्रसारित किए जाने या नियमों के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त हुई सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमों के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के संबंध में सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करें।

28. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार आवेदन दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण दर्शाना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना की पस्तुती</u>

29. जहां वर्तमान जांच में शामिल कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आवेदन करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना होगा।

30. ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' अंकित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किया गया कोई भी आवेदन प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

31. गोपनीय पाठ में वह सभी सूचना शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की हैं, और/ या ऐसी अन्य सूचना जिसे ऐसी सूचना का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी

सूचना जिसके गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस सूचना की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया जाता है, उसके लिए सूचना प्रदाता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

32. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय पाठ, गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त स्थान दिया गया हो (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेप में दिया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

33. अगोपनीय सारांश में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और नियमावली, 1995 के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित कारणों का विवरण और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाएं, कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान की जानी चाहिए।

34. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को प्रसारित किए जाने की तिथि से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मामलों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

35. गोपनीयता के दावे पर, नियमावली के नियम 7 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय पाठ या पर्याप्त कारण कथन और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत की गई किसी भी प्रस्तुति को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

36. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

37. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट और स्वीकार किए जाने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. <u>सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण</u>

38. पंजीकृत हितधारक पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और उसमें उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितधारक पक्षकारों को ईमेल करें।

ढ़ <u>असहयोग</u>

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है और अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है, या जांच में महत्वपूर्ण रुप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते है जो वह उचित समझें।

सिद्धार्थ-

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी